न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–6, बुलन्दशहर।

उपस्थित : विवेक कुमार–I (एच.जे.एस.)
(जे.ओ.कोड नम्बर यू पी 2415)

सत्रवाद संख्या 554 सन 2013
CNR N0 -UPBU01-004997-2013

राज्य..**अभियोजन पक्ष।**

बनाम

जमील पुत्र अली मौहम्मद उर्फ फखरूददीन, निवासी पुराना मुस्तफाबाद, दिलशाद मस्जिद के पास, थाना करावल नगर, दिल्ली।

....**अभियुक्त।**

मुकदमा अपराध संख्या 398 सन 2012
धारा 302 व 201 भा.द.स.
थाना कोतवाली देहात, जिला बुलन्दशहर।

निर्णय

सत्रवाद संख्या 554 सन 2013 राज्य प्रति जमील, मुकदमा अपराध संख्या 398 सन 2012, थाना कोतवाली देहात, जिला बुलन्दशहर में अभियुक्त जमील का विचारण धारा 302 व 201 भा.द.स. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिये किया गया।

संक्षेप में, अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रहीसुददीन पुत्र इसराईल ग्राम प्रधान ग्राम सुतारी, थाना कोतवाली देहात, बुलन्दशहर ने दिनांक 17.07.2012 को समय करीब 09.30 ए.एम. पर एक लिखित सूचना प्रदर्श क–1 थाना कोतवाली देहात, बुलन्दशहर पर इस आशय की प्रस्तुत की कि–

''प्रार्थी ग्राम सुतारी का ग्राम प्रधान है। मेरे गांव के सामने बम्बे में एक अज्ञात महिला की लाश पड़ी है, जिसकी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गला काटकर हत्या की है। सूचना दे रहा हूँ, आवश्यक कार्यवाही करें।''

इस सूचना के आधार पर आर.ओ.पी. चोला थाना कोतवाली देहात, जिला बुलन्दशहर पर मुकदमा अपराध संख्या 91/398/2012 अन्तर्गत धारा 302 व 201 भा.द.स. अज्ञात में दर्ज किया गया, चिक एफ.आई.आर. प्रदर्श क–9 अंकित की गई, जिसका खुलासा कायमी मुकदमा जी.डी. प्रदर्श–10 में किया गया तथा विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचक द्वारा अज्ञात महिला के शव का पंचनामा प्रदर्श क–2 दिनांक 17.07.2012 को तैयार किया गया, फोटोनाश प्रदर्श क–3, पुलिस प्रपत्र 13 प्रदर्श क–4, चिटठी सी.एम.ओ. प्रदर्श क–5, नमूना मौहर प्रदर्श क–6, फर्द मिटटी सादा व खून आलूदा प्रदर्श क–7 तैयार का शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया। अज्ञात मृतका के शव का पोस्टमार्टम जिला चिकित्सालय बुलन्दशहर में हुआ तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–14 तैयार की गई। दौरान विवेचना विवेचक ने शव बरामदगी का नक्शा नजरी प्रदर्श क–8 तैयार किया। दिनांक 09.03.2013 को आला कत्ल छुरी की बरामदगी कर फर्द बरामदगी प्रदर्श क–11 तैयार की गई, छुरी बरामदगी का नक्शा नजरी

Digitally signed by VIVEK KUMAR
Date: 2022.11.21 12:37:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रदर्श क–12 तैयार किया गया। फर्द खोलने पर्चाजात जिसमें मृतका की शिनाख्त विशाल उर्फ चीनू व दीपा के द्वारा अपनी माता कौशल पत्नी सुनील भार्गव निवासी डी–11 गली नम्बर–6, पुराना मुस्तफाबाद थाना करावलनगर, दिल्ली के रूप में की गई प्रदर्श क–13 तैयार किया गया। विवेचना के मध्य मृतका के तीन रंगीन फोटोग्राफ वस्तु प्रदर्श 1 ता 3 प्राप्त किये गये। विवेचना के मध्य अभियुक्त जमील का नाम प्रकाश में आया। विवेचक ने साक्षीगण के बयान अंकित किये। बाद विवेचना मामला सही पाये जाने पर अभियुक्त जमील के विरूद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 302 व 201 भा.द.स. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त जमील के अवर न्यायालय में उपस्थित होने पर उसे धारा 207 द.प्र.सं. के अन्तर्गत अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गई। अवर न्यायालय द्वारा उक्त मामला दिनांक 24.06.2013 को सत्र सुपुर्द किया गया।

सत्र न्यायालय में अभियुक्त के उपस्थित होने पर अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष को आरोप विरचित किये जाने के बिन्दु पर सुना गया तथा अभियुक्त जमील के विरूद्ध दिनांक 29.11.2013 को धारा 302 व 201 भा.द.स. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप लगाये गये जिनसे इंकार करते हुए अभियुक्त ने विचारण की मांग की।

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत किये गयेः–

1. **प्रदर्श क–1 तहरीर** जिसे पी.डब्लू–1 द्वारा साबित किया गया है।
2. **प्रदर्श क–2 पंचानामा** जिसे पी.डब्लू–5 द्वारा साबित किया गया है।
3. **प्रदर्श क–3 फोटोनाश,** जिसे पी.डब्लू–5 द्वारा साबित किया गया है।
4. **प्रदर्श क–4 पुलिस प्रपत्र 13** जिसे पी.डब्लू–5 द्वारा साबित किया गया है।
5. **प्रदर्श क–5 चिटठी सी.एम.ओ.** जिसे पी.डब्लू–5 द्वारा साबित किया गया है।
6. **प्रदर्श क–6 नमूना मौहर** जिसे पी.डब्लू–5 द्वारा साबित किया गया है।
7. **प्रदर्श क–7 फर्द मिटटा सादा व खूल आलूदा** जिसे पी.डब्लू–5 द्वारा साबित किया गया है।
8. **प्रदर्श क–8,नक्शा नजरी शव बरामदगी स्थल** जिसे पी.डब्लू–5 द्वारा साबित किया गया है ।
9. **प्रदर्श क–9 चिक एफ.आई.आर. अपराध संख्या 91/398/2012** जिसे पी.डब्लू–7 द्वारा साबित किया गया है।
10. **प्रदर्श क–10 कायमी मुकदमा जी.डी. अपराध संख्या 91/398/2012** जिसे पी.डब्लू–7 द्वारा साबित किया गया है।
11. **प्रदर्श क–11 फर्द बरामदगी छुरी आला कत्ल** जिसे पी.डब्लू–9 द्वारा साबित किया गया है ?
12. **प्रदर्श क–12,नक्शा नजरी बरामदगी स्थल छुरी** जिसे पी.डब्लू–9 द्वारा साबित किया गया है।
13. **प्रदर्श क–13 फर्द शिनाख्त मृतका** जिसे पी.डब्लू–9 द्वारा साबित किया गया है।
14. **प्रदर्श क–14, पोस्टमार्टम रिपोर्ट** जिसे पी.डब्लू–10 द्वारा साबित किया गया है।

15. **प्रदर्श क–15 आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 302 व 201 बनाम जमील** जिसे पी.डब्लू–9 द्वारा साबित किया गया है।
16. **वस्तु प्रदर्श क–1 ता 3** तीन किता रंगीन फोटोग्राफ मृतका पत्रावली पर दाखिल हैं।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट दिनांकित 25.11.2014 पत्रावली पर मौजूद है, जिसका सम्यक विवेचन निर्णय में यथास्थान किया जायेगा।

अन्य कोई प्रलेखीय साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया।

मौखिक साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से पी.डब्लू–1 रहीसुददीन वादी मुकदमा, पी.डब्ल–2 पवन कुमार, पी.डब्लू–3 रविदत्त, पी.डब्लू–4 कु. दीपा, पी.डब्लू–5 रामनिवास एस.आई., पी.डब्लू–6 पवन कुमार त्यागी, पी. डब्लू–7 सी.पी. जितेन्द्र, पी.डब्लू–8 जहीर अहमद, पी.डब्लू–9 राकेश कुमार सिंह निरीक्षक, पी.डब्लू–10 डा. दिनेश शर्मा एवं पी.डब्ल–11 मकसूद अली परीक्षित कराये गये हैं। अन्य किसी को परीक्षित नहीं कराया गया।

पी.डब्लू–1 रहीसुददीन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 17.07.2012 को मैं ग्राम सुतारी का प्रधान था। एक व्यक्ति ने बताया था कि बम्बे में एक महिला का शव पड़ा है। मैं व गांव के काफी लोग मौके पर पहुंचे तो वहां एक अज्ञात महिला की लाश पड़ी थी, जिसकी गर्दन पर काटने का निशान था। तब मैंने अपने गांव के रिजवान पुत्र जमील से तहरीर लिखाकर अपने हस्ताक्षर करके चोला चौकी थाना कोतवाली देहात पर दी थी। पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 4ए/2 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही तहरीर है जो मैंने चोला चौकी पर दी थी। इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। इस **पर प्रदर्श क–1** डाला गया है। इस सूचना के बाद पुलिस मौके पर आई थी, पुलिस ने वहां लिखा पढी करके लाश को पोस्टमार्टम के हेतु भेजा था। साक्षी से कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

पी.डब्लू–2 पवन कुमार पुत्र रविदत्त, पेशा नौकरी, खण्ड विकास कार्यालय गौतमबुद्धनगर ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मृतका कौशल मेरे छोटे भाई सुनील कुमार की पत्नी थी। दिनांक 17.12.2012 को उसकी लाश ग्राम सुतारी गांव के जंगल में मिली थी। उस दिन मैं अपनी डयूटी पर था। मेरी उस दिन डयूटी 10–5.00 बजे तक थी। रात को मैं अपने कमरे पर था। हाजिर अदालत जमील को जानता हूँ। यह जमील है, इससे मेरे छोटे भाई सुनील कुमार के सम्बन्ध थे। सुनील का जमील के घर आना जाना था। इनकी सुनील से दोस्ती थी। मेरे भाई का मर्डर हो गया। जमील भी मेरे भाई सुनील के घर आता जाता था। इसके बाद मुझे नहीं मालूम। जमील मेरे भाई को सामान लेने भेज देता था। जमील का मेरे छोटे भाई की पत्नी कौशल से अवैध सम्बन्ध हो गये। मेरे भाई सुनील कुमार की जायदाद हड़पने के लिये कौशल व जमील ने मिलकर सुनील कुमार की हत्या कर दी। उस हत्या के बाद अभियुक्त जमील ने ही मेरे परिवार के खिलाफ झूँठी रिपोर्ट लिखा दी। इस कारण मेरा भाई विनोद कुमार, कुँवरपाल, धीरज व मेरे पिताजी रविदत्त, लक्ष्मण सिंह, मेरे ताऊजी को जेल जाना पड़ा था। जमील ने फिर कौशल के नाम मकान स्थित जायदाद को अपने नाम कराने के लिये कहा तथा जब कौशल ने ऐसा नहीं किया तो कौशल की हत्या कर दी। इसके बाद बुलन्दशहर कोतवाली में मेरा बयान लिया गया। पुलिस ने मेरा बयान हत्या के अगले दिन लिया था । इसलिये कोतवाली में पूछताछ की थी। सुनील की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी

कौशल लौनी में जमील के साथ रहती थी और कौशल के बच्चे भी वही रहते थे। मेरे भाई की जायदाद मुलजिम ने बेच खाई है। सुनील की हत्या के केस में मेरे परिवार वाले बरी हो गये थे। इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई।

पी.डब्लू–3 रविदत्त पुत्र खचेडू, निवासी नाईपुरा लौनी, थाना लौनी जिला गाजियाबाद ने शपथपूर्वक बयान किया कि मैं हाजिर अदालत मुलजिम जमील को जानता हूँ। यह जमील है। जमील करावल नगर मस्जिद के पास गली नम्बर–6 दिल्ली के रहने वाले हैं। इनका आना जाना मेरे लड़के सुनील के पास था। इनके अवैध सम्बन्ध सुनील की पत्नी कौशल से हुए थे। इसकी जानकारी सुनील, मुझे व पड़ौसी को हुई थी। सुनील इस बात का विरोध करता था। फिर सुनील की पत्नी कौशल व जमील ने मिलकर सुनील को खत्म कर दिया तथा उस केस में मुझे व मेरे परिवार को मुलजिम बना दिया, उसमें हमें सजा हो गई। कौशल ने हमारे मकान व जमीन हड़प लिया। बाद में इन्होंने कौशल को भी खत्म कर दिया। कौशल की लाश कोतवाली देहात के किसी गांव में मिली थी। गांव का मुझे ध्यान नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि इन लोगों ने कौशल को मारकर जंगल में फैंका था। मुझे पुलिस ने बुलाया था, पुलिस ने बयान लिया था। इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई।

पी.डब्लू–4 कु. दीपा पुत्री सुनील भार्गव निवासी रोजी जलापुर, गाजियाबाद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 16.07.2012 को मेरी मम्मी कौशल थाना लौनी गई, कोतवाल साहब ने बुलाया था, यह कहकर गई थीं। हमारे पड़ौसी जहीर के द्वारा उनके साथ जाकर सी.ओ. लौनी को यह प्रार्थनापत्र दिया था कि मम्मी लौटकर नहीं आई हैं। इस पर मैं व मेरा भाई दीपू/चीनू तथा हमारे पड़ौसी हमें लेकर मां को तलाश करने आये थे। हम चोला चौकी गये थे, हमने वहां पर बताया, उन्होंने मुझे एक कपड़े का बंडल खोलकर दिखाया व फोटो भी दिखाया था, वह मेरी मां का फोटो था। मेरे पिता सुनील भार्गव का भी कत्ल हुआ था। मेरी मां का जो फोटो मुझे चोला चौकी पर दिखाया था वह शामिल मिसल कागज संख्या 11ए/1 ता. 11ए/2 है, जिस पर वस्तु प्रदर्श–1 व वस्तु प्रदर्श–2 डाला गया, जिसे गवाह ने देखकर कहा कि यह वही फोटो है जो मेरी मां कौशल का है। दिनांक 29.07.2012 को मैंने व मेरे भाई चीनू उर्फ विशाल व हमारे मौहल्ले के चाचा जहीर ने चोला चौकी आकर फोटो व कपड़ों के आधार पर मृतका मेरी मम्मी कौशल के रूप में पहंचान की थी, जो फोटो पत्रावली पर वस्तु प्रदर्श 1 व 2 आज भी मेरे सामने है, ये वह फोटो हैं जो पुलिस ने हमें दिखाये थे। जिसके आधार पर मैंने अपने मम्मी कौशल की शिनाख्त की थी। इस घटना से पूर्व मेरे पिताजी की भी हत्या हो गई थी जिसमें पैरवी मेरी मम्मी कौशल ने की थी। उस मुकदमे में हमारे परिवार के रविदत्त, लक्ष्मण, विनोद, कुंवरपाल आदि को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। हमारे पिताजी की हत्या के बाद हमारी देखभाल हमारी मम्मी करती थीं। घटनावाले दिन मम्मी लौनी थाना जाने की बात कह कर गई थीं। उनकी हत्या की जानकारी चोला चौकी से हुई थी। हाजिर अदालत जमील अंकल को मैं जानती हूँ, ये हमारे पिताजी के समय कभी कभी हमारे घर आते थे। इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई।

पी.डब्लू–5 एस.आई.रामनिवास ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया

है कि दिनांक 17.07.2012 को मैं चौकी चोला प्रभारी के पद पर नियुक्त था। उस दिन चौकी पर वादी रहीसुददीन की तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 398/12 धारा 302 व 201 भा.द.स. मुकदमा कायम हुआ था। मैंने उस मुकदमे की विवेचना स्वयं की थी। अपने साक्ष्य कथनों में इस साक्षी ने प्रकरण के साक्षीगण के बयान अंकित करने, मृतका के शव का पंचनामा प्रदर्श क–2, फोटोनाश, चालान लाश, चिटठी सी.एम.ओ. नमूना मौहर क्रमशः प्रदर्श क–3 ता प्रदर्श क–6 का अभिप्रमाणन साक्ष्य दिया है। इसी साक्षी ने खून आलूदा मिटटी व सादा मिटटी की फर्द व शव बरामदगी स्थल के नक्शा नजरी प्रदर्श क–7 व 8 का अभिप्रमाणन साक्ष्य दिया है। इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई है।

पी.डब्लू–6 पवन कुमार पुत्र रामेश्वर त्यागी, निवासी बुद्धबिहार, थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं गाजियाबाद में घण्टाघर पर महीपाल सिंह की दुकान पर इन्वर्टर बैटरी का काम करता हूँ। मेरी दोस्ती प्रदीप पुत्र जितेन्द्र से थी, जो मुरादनगर का रहने वाला था। मैं उसके साथ कभी कभी सुनील भार्गव के घर नाईपुरा लोनी में कभी कभी चला जाता था। मैं उसकी पत्नी कौशल को भी पहंचानता था। बाद में कौशल की किन्हीं अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। यह बात मुझे कौशल की मृत्यु के लगभग दो तीन महिने बाद पता लगी। कौशल की हत्या किसने की और क्यों की, कब की और कहां की इस सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हाजिर अदालत मुलजिम जमील को देखकर कहा कि मैं इसे नहीं पहंचानता हूँ, आज न्यायालय में पहली बार देख रहा हूँ। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गई।

पी.डब्लू–7 सी.पी. जितेन्द्र सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं चिक लेखक कां. 53 कुँवरपाल को जानता हूँ तथा उसकी तामीला हेतु भी गया था, वह चलने फिरने में असमर्थ है, मैं उसका लेख व हस्ताक्षर पहंचानता हूँ। पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 4ए/1 चिक संख्या 38/12 अपराध संख्या 91/398/12 धारा 302 भा.द.स. आर.ओ.पी. चोला थाना कोतवाली देहात, मेरे सामने मौजूद है, यह चिक सी.सी. कुंवरपाल के लेख व हस्ताक्षर में है इस पर प्रदर्श क–9 डाला गया। इसी साक्षी ने कायमी जी.डी. प्रदर्श क–10 अभिप्रमाणन का द्वितीयक साक्ष्य दिया है। साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गई।

पी.डब्लू–8 जहीर अहमद पुत्र जमीर अहमद निवासी गली–5 अम्बेडकर बस्ती मौजपुर दिल्ली 53 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मृतका कौशल मेरे पड़ौस में रहती थी। मैं उसे व उसके परिवार को अच्छी तरह से जानता था। कौशल की मृत्यु से लगभग सात वर्ष पूर्व उसके पति सुनील भार्गव की हत्या हो गई थी, जिसमें उसके चचेरे भाई विनोद, धीरज तथा धीरज के पिता लक्ष्मण तथा सुनील के पिता तथा कौशल के ससुर रविदत्त को सुनील की हत्या के सम्बन्ध में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। उस मुकदमे की पैरवी कौशल ने की थी और इसी कारण कौशल की ससुराल के लोग कौशल से रंजिश मानते थे। घटना के समय सुनील के हत्यारे माननीय उच्च न्यायालय से जमानत पर थे। मैं जमील अभियुक्त को भी जानता था, जमील की दोस्ती मृतक सुनील भार्गव से थी। सुनील की हत्या के बाद जमील कभी कभी कौशल के परिवार की मदद कर देता था। जुलाई 2012 में अचानक कौशल कहीं

गायब हो गई, उसके गायब होने के कई महीने पहले से जमील को कौशल को आते जाते नहीं देखा था। मैंने कौशल के बच्चों विशाल व दीपा के साथ कौशल की तलाश की थी, जब नहीं मिली तो दिनांक 24.07.2012 को क्षेत्राधिकारी बार्डर पुलिस गाजियाबाद को कौशल की गुमशुदगी के सम्बन्ध में एक प्रार्थनापत्र दिया था तथा दिनांक 29.07.2012 को मैं व कौशल के बच्चे दीपा व विशाल उर्फ चीनू कौशल को तलाश करते हुए चोला चौकी क्षेत्र में आये, जहां एक अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना मिली थी। चोला चौकी पर मैंने विशाल व दीपा ने उसकी शिनाख्त कपड़ों के आधार पर कौशल के रूप में की थी। इसकी हत्या की सूचना के सम्बन्ध में गांव सुतारी के प्रधान ने थाने पर रिपोर्ट कर रखी थी। कौशल के गायब होने के कई महीने पहले से जमील महरौली में रहकर फ्रैब्रीकेटिंग का कार्य करता था। पत्रावली पर मौजूद वस्तु प्रदर्श मृतका कौशल के फोटो कागज संख्या 11ए/1 व 11ए/2 को देखकर गवाह ने कहा कि ये वही फोटो हैं, जो पुलिस ने दिखाये थे। उस समय मृतका के बच्चे दीपा व चीनू उर्फ विशाल भी मेरे साथ थे। जिनमें पूर्व में क्रमशः वस्तु प्रदर्श क–1 व वस्तु प्रदर्श–2 डाला जा चुका है। इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई।

पी.डब्लू–9 राकेश कुमार सिंह निरीक्षक ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 17.07.2012 को मैं बतौर थानाध्यक्ष थाना कोतवाली देहात पर तैनात था। उस दिन थाना क्षेत्र की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी चोला पर तत्कालीन ग्राम प्रधान सुतारी रहीसुददीन के द्वारा सुतारी गांव के पास बम्बे के पास एक अज्ञात महिला का शव पड़ा होने की सूचना दर्ज कराई थी, जिसकी प्रारम्भिक विवेचना चोला चौकी इंचार्ज रामनिवास सिंह ने की थी। दिनांक 18.07.2012 को मैंने विवेचना ग्रहण करते हुए पोस्टमार्टम से प्राप्त स्लाईड को परीक्षण हेतु भेजा। प्रकरण के गवाहान के बयान अंकित किये। साक्षी ने आगे कथन किया है कि दिनांक 29.07.2012 को जहीर, जमीर, चीनू विशाल व दीपा उसे मिले जिन्होंने बताया कि श्रीमती कौशल दिनांक 16.07.2012 को समय करीब 2.00 बजे दिन घर से यह कह कर आई थी कि मुझे लोनी थाना बुलाया था, और अभी तक वापस नहीं पहुंची है, तलाश करते आये हैं, कौशल का फोटो दिखाया, इन्होंने थाने पर मिली अज्ञात महिला के शव के फोटो को देखकर अपनी माता कौशल के रूप में शिनाख्त की। साक्षी ने आगे यह कहा है कि दिनांक 06.08.2012 को मृतका कौशल के मोबाईल नम्बर 8750887270 की सी.डी.आर. प्राप्त की, जिसे सलंग्न सी.डी. किया गया। आगे यह कहा है कि दिनांक 01.10.2012 को गवाह प्रदीप कुमार व पवन के बयान अंकित किये गये जिन्होंने अपने बयान में कौशल को दादरी में दिनांक 16.07.2012 को शाम 6.00 बजे जमील के साथ देखना बताया था। विवेचना के मध्य जमील के आवास पर दविस दी गई तथा उसके विरूद्ध धारा 82 द.प्र.सं. की कार्यवाही का आदेश जमील के आवास पर चस्पा कराया गया।

दिनांक 05.03.2013 को जमील का रोबकार सरैण्डर प्राप्त हुआ, नकल सी.डी. की गई। दिनांक 06.03.2013 को न्यायालय की अनुमति से जेल में जाकर अभियुक्त जमील के बयान अंकित किये और जुर्म का इकबाल करते हुए अभियुक्त ने घटना से सम्बन्धित छुरी बरामद कराने की बात कही। दिनांक 09.03.2013 में अभियुक्त पुलिस कस्टडी रिमांड प्राप्त हुआ। अभियुक्त की निशानदेही पर सुतारी बम्बे की पटरी से 100 कदम

आगे झाड़ियों के झुण्ड से एक छुरी निकाल कर दी, जिसको कब्जे पुलिस लेकर मौके पर फर्द तैयार की गई जो मेरे बोलने पर कां. सुभाष ने तैयार की। हमराही कर्मचारीगण के हस्ताक्षर कराकर एक प्रति अभियुक्त को नकल दी गई। मूल फर्द पत्रावली आज मेरे सामने कागज संख्या 10ए/3 मौजूद है, इस पर मेरे हस्ताक्षर है, इस पर प्रदर्श क–11 डाला गया है।

न्यायालय के समक्ष एक सीलबन्द पुलिन्दा जिस पर 18–95 सीरोन–3, बुलन्दशहर लिखा है तथा 398/12 लिखा है जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा लिखा गया है, न्यायालय की अनुमति से न्यायालय के समक्ष खोला गया जिसके अन्दर से एक सीलबन्द पुलिन्दे में सम्बन्धित अपराध संख्या 398/12 सरकार बनाम जमील थाना कोतवाली देहात, बुलन्दशहर लिखा है, जिस पर मेरे व अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं, जिसके अन्दर एक कागज में लिपटी लोहे की छुरी जिसका फल लगभग 6 बालिस्त है, दिनांक 15.03.2013 को मैंने मौहम्मद असलम, अमित कुमार, कां. सुभाष के बयान लिये। इसी दिनांक को मैंने स्वयं बरामदगी स्थल छुरी पर जाकर मौके का नक्शा नजरी तैयार किया, मूल नक्शा नजरी कागज संख्या 7ए/2 मेरे सामने है, मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–12 डाला गया। इस साक्षी ने पर्चाजात को प्रदर्श क–13 के रूप में साबित किया है तथा दिनांक 15.03.2013 को अभियुक्त जमील के विरूद्ध आरोपपत्र संख्या 115 सन 2013 मुकदमा अपराध संख्या 398/12 धारा 302 व 201 भा.द.स. न्यायालय में प्रेषित किया गया तथा बरामद छुरी को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया जिसकी परीक्षण रिपोर्ट मेरे स्थानान्तरण के बाद आई। सीलबन्द लिफाफे से निकली छुरी को देखकर गवाह ने कहा कि यही वह छुरी है जो सुतारी बम्बे से बरामद कराई थी, इस पर वस्तु प्रदर्श–1 कागज पर वस्तु प्रदर्श 2 तथा छुरी के पुलिन्दे पर वस्तु प्रदर्श 3 तथा पूरे पुलिन्दे पर वस्तु प्रदश–4 व मृतका के कपड़ों पर वस्तु प्रदर्श–5 डाला गया। इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई।

पी.डब्लू–10. डा. दिनेश शर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक बयान किया कि दिनांक 17.07.2012 को मैं जिला अस्पताल बुलन्दशहर में मैडीकल आफिसर के पद पर तैनात था। उस दिन शाम को 4.00 बजे थाना कोतवाली देहात, बुलन्दशहर से सी.पी. 935 गुरमीत सिंह व सी.पी. 1506 देवेन्द्र सिंह द्वारा अज्ञात महिला के शव को पोस्टमार्टम हेतु सील अवस्था में मय पुलिस प्रपत्र के लाये थे, जिसका पोस्टमार्टम मेरे द्वारा किया गया था। शव पर निम्नलिखित चोट पाई गई थी।

शव की गर्दन पर सामने की ओर मध्य भाग में 14 गुणा 4 से.मी. का कटा हुआ घाव था। ट्रकिया (श्वास नली) व भोजन की नली तथा खून की नसें कटी हुई थीं।

मृतका की आयु लगभग 32 वर्ष थी। मृतक की फोटो व अंगुली पहंचान पुलिस द्वारा लिये गये थे। मृतका की जांघ की हडडी डी.एन.ए. परीक्षण के लिये रखी गई थी। मृतका के शरीर पर एक काला धागा, पैर में एक ब्रेसलेट, एक अंगूठी पीली धातु की, दो छल्ले सफेद धातु के, सलवार कुर्ता, दुपटटा समीज, ब्रा, पैण्टी, रूमाल व हेयरबैंड सील करके पुलिस को दिये थे, जो मृतका के शरीर से मिले थे। मृतक के शव की लम्बाई 1.57 से.मी. पैर का तलवा 20 से.मी. तथा सिर के बाल 50 से.मी. काले थे। आन्तरिक परीक्षण में कोई खास बात नहीं पाई गई। शव के यौनि से दो स्लाईड बना करके सील करके पुलिस को सौंपी गई थी। शव के आमाश्य एवं आतों में अधपचा भोजन मौजूद था। शव सामान्य कद काठी

का था तथा शव में कुछ अकड़न मौजूद थी। मेरी राय में मृतका की मृत्यु परीक्षण से लगभग दो तिहाई दिन करीब 16 घण्टे मृत्युपूर्व गले पर आई चोटों से हुई थी। चोट के कारण रक्तस्राव से मृत्यु होना सम्भव है। शव का पी.एम. करने के उपरान्त समस्त प्रपत्र एवं शव से सम्बन्धित समस्त सामान पुलिस को सौंप दिया था। पत्रावली पर पी.एम. कागज संख्या 9ए पर मौजूद है, जिस पर **प्रदर्श क–14** डाला गया। इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई।

दिनांक 26.08.2021 को अभियुक्त के बयान **अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं.** अंकित किये गये। अभियुक्त ने अभियोजन कथानक के बारे में कहा है कि पता नहीं है। यह भी कहा है कि कौशल सुनील कुमार की पत्नी थी, मैं सुनील को उसकी हत्या के पहले से नहीं जानता था, अवैध सम्बन्धों वाली बात गलत है। सुनील की हत्या का मुकदमा पवन के चचेरे भाई धीरज, विनोद, धीरज के पिता लक्ष्मण व रवि दत्त पर चला था जिसमें उसमें आजीवन कारावास हुआ था। साक्षी रविदत्त के बयान को झूॅठा कहा है। कपड़े न्यायालय में पेश नहीं हुए हैं। दीपा मृतका की बेटी है। जहीर अहमद सरकारी मुलाजिम रहे हैं। विवेचक के बयान को झूॅठा बताया है और कहा है कि झूॅठी बरामदगी की गई तथा झूॅठा आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है। पवन व रविदत्त के प्रभाव में आकर उसे झूॅठा फंसाया है। विशेष रूप से यह कहा है कि मैंने कोई घटना कारित नहीं की, मैं निर्दोष हूॅ। वर्ष 2006 में मृतका कौशल के पति की हत्या का मुकदमा रविदत्त साक्षी संख्या 3 के भतीजे धीरज, विनोद व भाई लक्ष्मण पर चला था, जिसमें कौशल की गवाही हुई थी और कौशल के साथ उसके पिता सलेकचन्द मुकदमे की पैरवी में आते थे और सलेकचन्द के कहने पर मैं भी पैरवी में आता था। आजीवन कारावास की सजा के विरूद्ध इन लोगों की अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी पैरवी कौशल करती रहती थी। इनके दिमाग में यह बात थी कि फैसला न होने देने में मेरा हाथ है, इसी वजह से इन लोगों ने मुझे झूॅठा फंसाया है तथा प्रतिरक्षा साक्ष्य देने की बात कही।

बचावपक्ष की ओर से **प्रतिरक्षा साक्ष्य में डी.डब्लू–1 श्री आकाश दीप भारद्वाज एडवोकेट बुलन्दशहर** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि मैं वर्ष 1999 से कलैक्ट्रेट कचहरी में वकालत कर रहा हूॅ। मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवेन्द्र सिंह लोधी के साथ बतौर उनके जूनियर उस समय उनके साथ कार्य करता था। दिनांक 09.03.2013 को मैं सी.जे.एम. के आदेश से अभियुक्त जमील के पुलिस कस्टडी के रिमांड में अभियुक्त के साथ आदेश के अनुपालन में गया था। मैं करीब सुबह 8.00 बजे दिनांक 09.03.2013 को थाना कोतवाली देहात के केस में अभियुक्त के साथ गया था। अभियुक्त को जिला कारागार से निकाल कर सुबह करीब 8.00 बजे से कई घण्टे तक थाना कोतवाली देहात में बैठाये रखा था। मैंने स्वयं तत्कालीन थानाध्यक्ष आर.पी. सिंह से थाने पर बैठे रहने के दौरान अग्रिम कार्यवाही के लिये कहा था परन्तु थानाध्यक्ष्य महोदय ने यह कह कर वकील साहब आप बैठे रहिए और चुपचाप कार्यवाही देखते रहिए। सुबह 8.00 बजे से करीब 12 घण्टे का रिमांड मिला था। इस दौरान मेरे सामने जमील को शाम को डाक्टरी कराने ले गये थे और किसी जगह थाने के अलावा अस्पताल ले गये थे। मेरे सामने पुलिस ने उक्त समयावधि में न तो कोई बरामदगी की थी और न

ही मेरे हस्ताक्षर कराये और न ही मुझसे हस्ताक्षर करने के लिये कहा। मैंने थानाध्यक्ष आर.पी. सिंह को यह भी कहा था कि आपने न तो मेरे हस्ताक्षर कराये और न ही कोई बरामदगी की है। इस बारे में मैं अदालत में बताऊंगा तो उन्होंने कहा कि आपका काम खत्म हो गया है। आप को जाना है तो घर चले जायें और मैं थाने से जब मुलजिम को जेल लेकर गये थे, जेल में मुलजिम को छुडवाकर अपने घर चला आया। इस साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट न्यायालय में आने पर पुनः अभियुक्त का बयान दिनांक 01.04.2022 को अन्तर्गत **धारा 313 द.प्र.सं.** अंकित किया गया जिसमें उसने विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के बारे में यह कहा है कि पता नहीं।

पी.डब्लू–11 मकसूद अली ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ईशाक मेरे गांव का है, जो लोनी में रहता है, वह मेरे ताऊ का लड़का है। ईशाक लोनी में भैंसा बुग्गी चलाता है। मेरा ईशाक के यहां काम होता है। साक्षी ने अभियोजन कथानक का कोई समर्थन नहीं किया, साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर उससे अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई।

अभियुक्त के पुनः बयान अन्तर्गत **धारा 313 दिनांक 17.10.2022** को अंकित किये गये जिसमें अभियुक्त ने रंजिशन झूँठा मुकदमा चलना व स्वयं को निर्दोष होना कहा है।

अभियोजन के तथ्यों के अनुसार दिनांक 16.07.2012 को मृतका कौशल अपने घर स्थित रोजी जलालपुर गाजियाबाद थाना लोनी के लिये कह कर गई थी, जिसके पश्चात दिनांक 17.12.2012 को मृतक कौशल का शव ग्राम सुतारी थाना कोतवाली देहात, जिला बुलन्दशहर के जंगल में वादी मुकदमा पी.डब्लू–1 रहीसुददीन द्वारा देखा गया और रहीसुददीन द्वारा सम्बन्धित थाने पर प्राथमिकी पंजीकृत कराई। प्राथमिकी पंजीकृत कराये जाने के उपरान्त दौरान विवेचना अभियुक्त के रूप में जमील पुत्र अली मौहम्मद का नाम प्रकाश में आया। इस प्रकार अभियोजन को यह साबित करना है कि अभियुक्त जमील द्वारा श्रीमती कौशल की धारदार हथियार से गला काटकर दिनांक 16/17.07.2012 की रात्रि किसी समय हत्या कारित की और हत्या की साक्ष्य मिटाने की दृष्टि से मृतका कौशल के शव को सुतारी गांव के बम्बे में फैंक दिया।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ.) द्वारा अपनी बहस में यह कथन किया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय साक्ष्य से यह साबित है कि अभियुक्त जमील के मृतक कौशल से अवैध सम्बन्ध थे तथा उसकी सम्पत्ति को हथियाने के उददेश्य से दिनांक 16/17.07.2012 की रात्रि किसी समय अभियुक्त जमील द्वारा मृतका कौशल का गला काटकर हत्या कारित करके उसके शव को साक्ष्य मिटाने के आशय से सुतारी गांव के बम्बे में फैंक दिया गया। अतः विद्वान अधिवक्ता ने अभियुक्त जमील को उसके विरूद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा 302 व 201 भा.द.स. में दोषसिद्ध किये जाने की प्रार्थना की है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि साक्षीगण का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है, प्राथमिकी अज्ञात में पंजीकृत कराई गई है। अभियुक्त प्राथमिकी में नामित नहीं है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और

परिस्थितिजन्य साक्ष्य की आवश्यक कड़ियां अभियोजन साक्ष्य से नहीं जुड़ रही हैं। इस प्रकार अभियोजन अपने मामले को साक्ष्य से साबित करने में विफल रहा है। अतः विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त जमील को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

स्वीकृत रूप से प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के प्रकरण में अभियोजन को गम्भीरता से अपने प्रकरण को अपराध की प्रत्येक कड़ी को एक श्रृखला के रूप में जोड़ते हुए इस प्रकार सिद्ध किया जाना चाहिए कि उक्त सभी कडियां जुडकर अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किये जाने के तथ्य को स्पष्ट करती हो। साथ ही अभियोजन का यह भी उत्तरदायित्व है कि किसी कड़ी की रिक्तता को संदेह से पूर्ण करने का प्रयास न हो तथा यदि प्रकरण में मृतक को अन्तिम बार अभियुक्त के साथ में जीवित अवस्था में देखे जाने का यदि कथन किया गया है तो उसे गम्भीरता से सिद्ध किया जाना चाहिए। जैसा कि बोधराज प्रति बोधा व अन्य प्रति जम्मू कश्मीर राज्य **A.I.R. 2002(SC)3164** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्टतः विनिश्चित किया है. ''The last seen theory comes in to play where the time gap between the point of time when the accused and deceased was last seen alive and when the deceased is found dead is so small that possibility of any person other then the accused being the author of crime become impossible''

In Hanumant Govind Nargundker versus State of Madhaya Prades AIR 1952 SC 343, The Supreme Court in the case of 'Govinda Reddy versus State of Mysore', reported in AIR 1960 SC 29, held:- "It is well to remember that in cases where the evidence is of a circumstantial nature, the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should in the first instance be fully established and all the fact so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused. Again the circumstance should be of a conclusive nature and tendency and they should be such as to exclude every hypothesis but the one proposed to be proved. In other words, there must be a chain of circumstances so far complete as not to leave any reasonable ground for a conclusion consistent with the innocence of the accused and it must be such as to show that within all human probability the act must have been done by the accused."

Govinda Reddy's case the Supreme Court has been followed in all of its subsequent judgments including judgment in the case of **Sharad Bhridhicand Sharda versus State of Maharastra', AIR 1984 Supreme Court 1622**, and **Bablu alias Mubarak versus State of Rajsthan', reported in 2007 (57) ACC 1071 Supreme Court.**

निष्कर्ष

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ.) द्वारा अपनी बहस में यह तर्क किया गया है कि साक्षी पी.डब्लू–1 रहीसुददीन ने अपने साक्ष्य से यह साबित किया है कि दिनांक 17.07.2012 को ग्राम सुतारी के जंगल में जिस महिला का शव साक्षी रहीसुददीन द्वारा देखा गया, जिसकी बाद में कौशल के रूप में पहंचान हुई, की गर्दन पर काटने का निशान था। मृतक कौशल की हत्या गर्दन काटकर की गई, इस तथ्य की पुष्टि मृतका कौशल की

पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–14 जिसको साक्षी पी.डब्लू–10 डाक्टर ने सिद्ध किया है। चिकित्सक साक्षी पी.डब्लू–10 ने कहा है कि **शव की गर्दन पर सामने की ओर मध्य भाग में 14X4 से.मी. का कटा हुआ घाव था और ट्रेकिया (श्वास नली) व भोजन की नली तथा खून की नसें कटी हुई थीं।** इस प्रकार साक्षी पी.डब्लू–1 रहीसुददीन का साक्ष्य की मृतका की हत्या गर्दन काटकर की गई, की पुष्टि साक्षी पी.डब्लू–10 के साक्ष्य से होती है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रहीसुददीन से प्रतिपरीक्षा हेतु अवर दिये जाने के बाद भी जिरह नहीं की गई।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ.) द्वारा अपनी बहस में यह तर्क किया गया है कि साक्षी पी.डब्लू–2 पवन कुमार ने साक्ष्य में कथन किया है कि मृतका कौशल मेरे छोटे भाई सुनील कुमार की पत्नी थी। दिनांक 17.12.2012 को उसकी लाश ग्राम सुतारी गांव के जंगल में मिली थी। हाजिर अदालत जमील को जानता हूँ। यह जमील है, इससे मेरे छोटे भाई सुनील कुमार के सम्बन्ध थे। सुनील का जमील के घर आना जाना था। इनकी सुनील से दोस्ती थी। मेरे भाई का मर्डर हो गया। जमील भी मेरे भाई सुनील के घर आता जाता था। इसके बाद मुझे नहीं मालूम। जमील मेरे भाई को सामान लेने भेज देता था। जमील का मेरे छोटे भाई की पत्नी कौशल से अवैध सम्बन्ध हो गये। मेरे भाई सुनील कुमार की जायदाद हड़पने के लिये कौशल व जमील ने मिलकर सुनील कुमार की हत्या कर दी। साक्षी ने यह भी कथन किया कि जमील ने फिर कौशल के नाम मकान स्थित जायदाद को अपने नाम कराने के लिये कहा तथा जब कौशल ने ऐसा नहीं किया तो कौशल की हत्या कर दी।

इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षा की गई। बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा में साक्षी पर संदेह उत्पन्न किये जाने का प्रयास करते हुए यह कथन किया कि मृतका के पति की हत्या में साक्षी पी. डब्लू–2 पवन व अन्य परिवारजन अभियुक्त थे, मृतका कौशल अपने पति की हत्या की पैरवी करती थी, परन्तु प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने यह भी कथन किया है कि मृतका कौशल द्वारा मुकदमे में की जा रही पैरवी में अभियुक्त जमील भी उसके साथ जाता था, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि मृतका का सम्बन्ध अभियुक्त जमील से था।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ.) द्वारा अपनी बहस में यह तर्क किया गया है कि साक्षी पी.डब्लू–3 रविदत्त पुत्र खचेडू, निवासी नाईपुरा लौनी, थाना लौनी जिला गाजियाबाद ने साक्ष्य में कथन किया है कि मैं हाजिर अदालत मुलजिम जमील को जानता हूँ। जमील करावल नगर मस्जिद के पास गली नम्बर–6 दिल्ली के रहने वाले हैं। इनका आना जाना मेरे लड़के सुनील के पास था, इनके अवैध सम्बन्ध सुनील की पत्नी कौशल से हुए थे, इसकी जानकारी सुनील, मुझे व पड़ौसी को हुई थी। सुनील इस बात का विरोध करता था। फिर सुनील की पत्नी कौशल व जमील ने मिलकर सुनील को खत्म कर दिया तथा उस केस में मुझे व मेरे परिवार को मुलजिम बना दिया, उसमें हमें सजा हो गई। साक्षी का यह भी कहना है कि कौशल ने हमारे मकान व जमीन को हड़प लिया। बाद में इन्होंने कौशल को भी खत्म कर दिया। कौशल की लाश कोतवाली देहात के किसी गांव में मिली थी।

इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षा की गई। बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा में साक्षी पर संदेह उत्पन्न किये जाने का प्रयास

करते हुए यह कथन किया कि साक्षी पी.डब्लू–3 ने मृतका कौशल के पति की हत्या के मुकदमे में अभियुक्त होना स्वीकार किया है परन्तु साक्षी पी. डब्लू–3 ने प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि यह बात सही है कि मेरी पुत्रवधू के साथ जमील भी पैरोकारी में मेरे बेटे सुनील की हत्या के केस में साथ आता था। साक्षी पी.डब्लू–3 के साक्ष्य से भी यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त जमील का मृतका कौशल के पास आना जाना था तथा अभियुक्त जमील मृतका कौशल के साथ मुकदमे की पैरवी में जाता था।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ.) द्वारा अपनी बहस में यह तर्क किया गया है कि साक्षी पी.डब्लू–4 कु. दीपा पुत्री सुनील भार्गव निवासी रोजी जलापुर, गाजियाबाद ने साक्ष्य में यह कथन किया है कि दिनांक 16.07.2012 को मेरी मम्मी कौशल थाना लौनी गई, कोतवाल साहब ने बुलाया था, यह कहकर गई थीं। हमारे पड़ौसी जहीर के द्वारा उनके साथ जाकर सी.ओ. लौनी को यह प्रार्थनापत्र दिया था कि मम्मी लौटकर नहीं आई हैं। इस साक्षी ने **मृतका की शिनाख्त** के सम्बन्ध में कहा है कि मृतका के घर वापस न आने पर वे चोला चौकी गये थे जहां पर पुलिस ने उन्हें मृतका का फोटो व कपड़े दिखाये थे, जिसके आधार पर उन्होंने मृतका की शिनाख्त की थी। साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त के बारे में यह कहा है क हाजिर अदालत जमील अंकल को मैं जानती हूँ, ये हमारे पिताजी के समय कभी कभी हमारे घर आते थे।

इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षा की गई। परन्तु साक्षी के साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट है कि साक्षी पी.डब्लू–4 अभियुक्त जमील को पूर्व से जानती है जिसका उसके घर पहले से आना जाना था। इस प्रकार उपरोक्त साक्षीगण के साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट है कि अभियुक्त का सम्बन्ध मृतका कौशल व उसके परिवार से था। अभियुक्त जमील मृतका कौशल के साथ उसके पति की हत्या के मुकदमे में पैरवी करने उसके साथ कचहरी में जाता था यह बात स्वयं अभियुक्त जमील ने अपने बयान धारा 313 द.प्र.सं. में स्वीकार की गई है। निर्णयज विधि **2009 (67) ए.सी.सी. 668(एस.सी.) जनरैल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब** के न्यायिक दृष्टान्त में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि जहॉ डि–कम्पोज डैथबॉडी की पहचान मृतक के कपड़ों द्वारा की गयी हो, तो वह मृतक की पहंचान को स्थापित करती है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मामले की प्राथमिकी अज्ञात में पंजीकृत कराई गई है, मृतका कौशल का शव भी अज्ञात में बरामद हुआ। इस प्रकार अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है, जिसका लाभ अभियुक्त को होता है।

उपरोक्त तर्क के खण्डन में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत कया गया है कि यह सही है कि मृतका कौशल का शव अज्ञात में बरामद हुआ है, जिसके सम्बन्ध में वादी मुकदमा पी.डब्लू–1 द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अग्रेत्तर तर्क यह भी किया कि साक्षी पी.डब्लू–4 कु. दीपा जो कि मृतका की पुत्री है ने अपने भाई दीपू उर्फ चीनू के साथ थाना चोला चौकी पर जाकर शव की शिनाख्त अपनी माता कौशल के रूप में की है। उक्त तथ्य को पी.डब्लू–4 द्वारा अपने साक्ष्य से साबित किया गया है। शव शिनाख्त किये जाने के उपरान्त

अन्वेषण अधिकारी द्वारा किये गये गहनतापूर्वक अन्वेषण में अभियुक्त जमील का नाम प्रकाश में आया। तत्पश्चात अभियुक्त जमील की तलाश की गई परन्तु अभियुक्त जमील फरार हो गया था तथा न्यायालय से अन्तर्गत धारा 82 द.प्रं.स. की आदेशिका प्राप्त होने पर अभियुक्त गिरफतार किया जा सका। इस प्रकार बचाव पक्ष के तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है।

चूँकि **मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित** है, जिस कारण मामले का गहनतापूर्वक विवेचन किया जाना आवश्यक है। इसी परिपेृक्ष्य में यह आवश्यक है कि क्या अभियुक्त जमील के पास मृतक कौशल की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में पर्याप्त हेतुक था। इस तथ्य को साबित करने के लिये साक्षी पी.डब्लू–2 पवन ने कथन किया है कि हाजिर अदालत जमील को जानता हूँ, इससे मेरे भाई सुनील कुमार के सम्बन्ध थे। सुनील का जमील के घर आना जाना था, इनकी सुनील से दोस्ती थी। जमील भी मेरे भाई सुनील के घर आता जाता था। जमील मेरे भाई को सामान लेने भेज देता था, जमील के मेरे भाई सुनील की पत्नी कौशल से अवैध सम्बन्ध हो गये। साक्षी ने अग्रेत्तर यह भी कथन किया कि जमील ने कौशल के नाम मकान स्थित जायदाद को अपने नाम कराने के लिये कहा तथा जब कौशल ने ऐसा नहीं किया तो कौशल की हत्या कर दी। साक्षी पी.डब्लू–2 पवन कुमार के साक्ष्य का समर्थन करते हुए पी.डब्लू–3 रविदत्त जो कि मृतका का ससुर है, ने भी अपने साक्ष्य में कथन किया है कि हाजिर अदालत मुलजिम जमील को जानता हूँ। जमील करावल नगर, मस्जिद के पास गली नम्बर 6 दिल्ली के रहने वाले हैं, इनका आना जाना मेरे लड़के सुनील के पास था। इनके अवैध सम्बन्ध सुनील की पत्नी कौशल से हुए थे, इसकी जानकारी सुनील, मुझे व पड़ौसी को हुई थी, सुनील इस बात का विरोध करता था, फिर सुनील की पत्नी कौशल व जमील ने मिलकर सुनील को खत्म कर दिया तथा उस केस में मुझे व परिवार को मुलजिम बना दिया जिसमें हमें सजा हो गई। कौशल ने हमारा मकान व जमीन हड़प लिया। बाद में इन्होंने कौशल को भी खत्म कर दिया। यह भी उल्लेखनीय है कि पी.डब्लू–4 दीपा जो कि मृतका की पुत्री है, ने भी अपने साक्ष्य में यह कथन किया है वह हाजिर अदालत जमील को जानती है तथा जमील उनके घर आते जाते थे। इसके अतिरिक्त अभियुक्त जमील ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. में मृतका के साथ मुकदमे में पैरवी करने के लिये जाने के कथन को स्वीकार किया है। इससे यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि मृतका के कौशल के साथ सम्बन्ध थे और एक दूसरे को भली–भांति जानते थे। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में आया है कि कौशल के एक मकान पर अभियुक्त का कब्जा है और एक मकान उसने कौशल मृतका से उसकी पति की मृत्यु के बाद बिकवा दिया है। उक्त विवेचन से अभियुक्त जमील का मृतका के पास आना जाना साबित है तथा अभियोजन का यह तर्क कि जमील मृतका कौशल की सम्पत्ति को हड़पना चाहता था में बल प्रतीत होता है, जिसके अभियुक्त को घटना कारित करने का हेतुक होना स्पष्ट होता है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना का कोई भी अन्तिम दृष्टा साक्षी नहीं है, इसलिये परिस्थितिजन्य साक्ष्य के घटक साबित नहीं होते हैं, जिसका लाभ अभियुक्त को जाता है।

उक्त तर्क के खण्डन में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ) द्वारा यह तर्क किया गया है कि यह कहना कि घटना का अन्तिम

दृष्टा साक्षी नहीं है, पूर्णतः सही नहीं है क्योंकि साक्षी पवन पुत्र रामेश्वर पी. डब्लू–6 ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि मैं गाजियाबाद में घंटाघर पर महीपाल सिंह की दुकान पर इन्वर्टर बैटरी का काम करता हूँ। मेरी दोस्ती प्रदीप पुत्र जितेन्द्र सिंह से थी, जो मुरादनगर का रहने वाला था, मैं उसके साथ कभी कभी सुनील भार्गव (मृतका के पति) के घर चला जाता था। मैं उसकी पत्नी कौशल को भी पहंचनता था। इस साक्षी ने विवेचना के दौरान विवेचक को यह बताया था कि उसने मृतका कौशल व जमील को घटना के पूर्व दिनांक 16.07.2012 में दादरी में एक साथ देखा था, हालांकि यह साक्षी बाद में बचाव पक्ष द्वारा **win- over** कर लिया जाना प्रतीत होता है।

इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलबध केस डायरी का अवलोकन किया गया। विवेचक ने जो अन्तिम दृष्टा साक्ष्य संकलित की उसमें उसने मामले के साक्षी पवन जो कि प्रकरण में बतौर पी.डब्लू–6 परीक्षित हुआ है, का साक्ष्य संकलित करते हुए केस डायरी के पर्चा नम्बर 14 पर मामले के अन्तिम दृष्टा साक्षी होने का कथन किया है। पवन कुमार ने अपने धारा 161 द.प्र.सं. के कथन में मुख्य रूप से यह कहा है घटना के दिनांक 16.07.2012 को जब वह प्रदीप कुमार के साथ सौदापुर झाल गया तो दादरी बस स्टैण्ड में फल बेचने वाले के पास कौशल व जमील पुत्र फखरूददीन को करीब 6.00 बजे दादरी बस स्टैण्ड के पास देखा था। इस साक्षी ने यह कहा है कि वह उस दिन प्रदीप के साथ गया, वह जमील व कौशल दोनों को जानता है। परन्तु यह साक्षी न्यायालय में साक्ष्य के समय उक्त बयान से मुकर गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 17.07.2012 को मृतका का गर्दन कटा शव ग्राम सुतारी जिला बुलन्दशहर के बम्बे में पाया गया है। साक्षी पी. डब्लू–9 जो कि मामले के विवेचक हैं जिन्होंने मृतका कौशल के मोबाईल नम्बर 8750887270 की सी.डी.आर. प्राप्त की जो संलग्न सी.डी. है, उक्त सलंग्न सी.डी.आर. के अनुसार दिनांक 16.07.2012 को समय 04.21.55 पर दादरी स्थित मोबाईल टावर संख्या 4040433440661 की रेंज में थी। जिससे भी यह स्पष्ट है कि मृतका उक्त समय पर दादरी में उपस्थित थी। इस प्रकार साक्षी पवन के बयान धारा 161 द.प्र.सं को बल मिलता है कि मृत्यु के पूर्व मृतका कौशल अभियुक्त जमील के साथ कस्बा दादरी के आसपास मौजूद थी। दिनांक 16.07.2012 में अभियुक्त जमील व कौशल को दादरी में एक साथ देखे जाने के तथ्य का समर्थन पी.डब्लू–9 राकेश कुमार सिंह विवेचक द्वारा अपने साक्ष्य कथनों में किया गया है। निर्णयज विधि **विधि व्यवस्था (2010) 7 एस.सी.सी. 759 धरनीधर बनाम स्टेट आफ यू.पी.** के न्यायिक दृष्टान्त में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि जहां अभियोजन साक्षियों को won-over कर लिया पाया जाता है इससे अभियोजन केस पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ता है। उक्त विवेचन के अधार पर अभियोजन की ओर से किये गये तर्क कि बचाव पक्ष द्वारा मामले के महत्वपूर्ण साक्षी को win- over कर लिया गया, में बल प्रतीत होता है। निर्णयज विधि **2016(3) काईम्स 115 (एस.सी.) सतीश उर्फ बोबी बनाम स्टेट आफ हरियाणा** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि यदि किसी साक्षी के पक्षद्रोही हो जाने से अभियोजन का सारा केस अविश्वसनीय नहीं हो जाता है बल्कि न्यायालय को पक्षद्रोही साक्षियों की साक्ष्य के उस भाग पर विश्वास करना चाहिए जो अभियोजन को सपोर्ट करते हैं।

अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क किया गया है कि विवेचना के दौरान अभियुक्त जमील की निशानदेही से घटना में प्रयुक्त लोहे की छुरी आला कत्ल बरामद हुई, बरामदगी के समय अभियुक्त ने अपने जुर्म का इकबाल किया है। जिससे अभियोजन कथानक साबित होता है।

बचाव पक्ष की ओर से तर्क किया गया है अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई और जो बरामदगी दर्शित की गई है वह गलत एवं फर्जी है। अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर ले जाते समय न्यायालय के आदेशानुसार श्री आकाशदीप अधिवक्ता भी पुलिस व अभियुक्त के साथ मौके पर गये थे, परन्तु उनके फर्द पर हस्ताक्षर नहीं हैं, फर्द बरामदगी किसी स्वतंत्र साक्षी से समर्थित नहीं है, इसलिये बरामदगी संदिग्ध है।

पत्रावली पर फर्द बरामदगी **प्रदर्श क–11** मौजूद है। फर्द बरादमगी में यह तथ्य अंकित किया गया है कि दौरान विवेचना अभियुक्त जमील को न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर दिनांक 09.03.2013 को अभियुक्त के बताये अनुसार उसे पुल सुतारी जाने वाले रास्ते पर लेकर गये जहां अभियुक्त ने आगे आगे चलकर पुल से करीब सौ कदम आगे चलकर रूककर बम्बे जिसमें पानी नहीं था, में घुसकर बम्बा पार कर बम्बा की पश्चिमी पटरी पर पांच कदम चलकर खड़ी झाड़ी पतेल के झुण्ड के बीच से अपने हाथों से निकाल कर समय करीब 12.00 बजे एक छुरी देते हुए बताया कि इसी छुरी से उसने दिनांक 16/17.07.2012 की रात को कौशल की गला काटकर हत्या कर लाश को बम्बा में धकेल दिया था और छुरी को यहां छिपाकर रख दिया था। घटना वाली रात में भी बम्बा में पानी नहीं चल रहा था, थोड़ा थोड़ा पानी था और इसके बाद वह दिल्ली चला गया था। पुलिस द्वारा छुरी कब्जे में ली गई। जनता के साक्षीगण से गवाही के लिये कहा गया था परन्तु किसी ने गवाही नहीं दी। फर्द बरादमगी में यह तथ्य भी अंकित है कि एडवाकेट श्री आकाश दीप भारद्वाज से गवाही के हस्ताक्षर बनाने को कहा गया तो मना कर दिया। फर्द की प्रति अभियुक्त को दी गई। फर्द पर विवेचक, अन्य पुलिस कर्मचारीगण व अभियुक्त के हस्ताक्षर है। फर्द बरामदगी प्रदर्श क–11 को मामले के विवेचक पी.डब्लू–9 राकेश कुमार सिंह द्वारा सिद्ध करते हुए यह कहा गया कि अभियुक्त के फरार होने पर उसके विरूद्ध धारा 82 द.प्र.सं. की कार्यवाही की गई। दिनांक 06.03.2013 को न्यायालय की अनुमति से जेल जाकर अभियुक्त जमील के बयान केस डायरी में अंकित किये, अभियुक्त ने जुर्म का इकबाल करते हुए घटना से सम्बन्धित आला कत्ल बरामद कराने की बात कही। दिनांक 09.03.2013 को पी.सी.आर. प्राप्त हुआ। अभियुक्त ने अपनी निशानदेही पर सुतारी बम्बे की पटरी से लगभग सौ कदम आगे झाड़ियों के झुण्ड से एक छुरी निकाल कर दी जिसको कब्जे पुलिस लेकर मौके पर फर्द तैयार की गई, जो उसके बोलने पर कां. सुभाष ने तैयार की, हमराही कर्मचारीगण के हस्ताक्षर कराकर एक प्रति अभियुक्त को बतौर नकल दी गई। मूल फर्द कागज संख्या 10ए/3 प्रदर्श क–11 का इस साक्षी ने सम्यक अभिप्रमाणन साक्ष्य दिया है।

जहां तक अधिवक्ता श्री आकाशदीप एडवोकेट के फर्द पर हस्ताक्षर न होने का सम्बन्ध है तो इस बारे में विवेचक की साक्ष्य में यह स्पष्ट कथन आया है कि हस्ताक्षर करने से खुद एडवोकेट ने मना किया था। बरादमगी में यह तथ्य भी अंकित है कि एडवोकेट श्री आकाश दीप भारद्वाज से गवाही के हस्ताक्षर बनाने को कहा गया तो मना कर दिया।

यह भी उल्लेखनीय है कि फर्द तैयार किये जाते समय यदि पुलिस ने उनके हस्ताक्षर नहीं कराये तो इस बावत बचाव पक्ष को यह अधिकार था कि वह मजिस्ट्रेट न्यायालय में ही इस तथ्य की शिकायत कर सकते थे कि अमुक कारण से बरामदगी मिथ्या है परन्तु ऐसी कोई साक्ष्य बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। इसलिये अधिवक्ता श्री आकाश दीप के फर्द पर हस्ताक्षर न होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव फर्द बरामदगी पर नहीं पड़ता है।

निर्णयज विधि **ए0आई0आर0 2017, एस0सी0 2161(थ्री जजेज बैंच) बनाम मुकेश एवं एस.सी.सी. 107, संदीप बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0** के न्यायिक दृष्टान्तों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि ''धारा–27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत यदि अभियुक्त से कोई हथियार बरामद किया गया तब पुलिस आफीसर की साक्ष्य पर सामान्यतः अविश्वास नहीं किया जा सकता है।'' इस प्रकार से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त जमील द्वारा अपनी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल छुरी बरामद करायी है और अभियुक्त फर्द बरामदगी प्रदर्श क–11 पर अभियुक्त जमील के हस्ताक्षर हैं, जिस पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है।

निर्णयज विधि **अनुराग शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (क्रिमिनल अपील नं:- 3603/2018) साटेशन : 2022 लाइव लॉ (इलाहाबाद)** 359 यदि हथियार छुपाने का स्थान विशेष रूप से अभियुक्त की जानकारी में है और वह स्थान किसी अन्य व्यक्ति के ज्ञान में नहीं हो सकता है या नहीं है और हथियार उसी स्थान से बरामद किया गया है तो इस प्रकार की बरामदगी बिल्कुल विश्वसनीय है और इसे लेकर कोई संदेह नहीं किया जा सकता या यह नहीं माना जा सकता है कि हथियार बाद में रखा गया है।

जहां तक फर्द बरादमगी में स्वतंत्र गवाह न होने का सम्बन्ध है, तो अभियोजन की ओर से तर्क किया गया है कि फर्द बरामदगी को मामले के विवेचक द्वारा पूर्ण रूप से साबित किया गया है और पुलिस कर्मचारी एवं अधिकारी की साक्ष्य बिना किसी उचित कारण के अविश्वसनीय नहीं हा सकती है।

निर्णयज विधि **ए.आई.आर. 2013(एस.सी.) 3344 प्रमोद कुमार बनाम स्टेट ऑफ एन.सी.टी. दिल्ली एवं ए.आई.आर. 2012 (एस.सी.) 1292 गोविन्द राजू उर्फ गोविन्दा बनाम स्टेट ऑफ श्रीरामपुरम** के न्यायिक दृष्टान्तों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों की साक्ष्य भी अन्य साक्षियों की साक्ष्य की भॉति पढ़ी जायेगी। ऐसा कोई विधि का सिद्धान्त नहीं है कि पुलिस कर्मचारियों की साक्ष्य की सम्पुष्टि किसी अन्य साक्षी की साक्ष्य से न की जाए तब वह नहीं पढ़ी जा सकती, बल्कि बिना किसी अन्य साक्ष्य की पुष्टि किये बिना भी पुलिस कर्मचारी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाए। मात्र पुलिस कर्मचारी की साक्ष्य के आधार पर ही अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है।

अभियोजन साक्षी पी.डब्लू–9 राकेश कुमार विवेचक ने न्यायालय के समक्ष खोले गये माल मुकदमाती लोहे की छुरी, बरामदगी स्थल छुरी के नक्शा नजरी तैयार प्रदर्श क–12, पर्चाजात फर्द प्रदर्श क–13, बरामद छुरी को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने का अभिप्रमाणन साक्ष्य दिया है और गवाह ने यह कहा कि यही वह छुरी है जो सुतारी बम्बे से बरामद कराई थी, इस पर **वस्तु प्रदर्श–1** कागज पर **वस्तु प्रदर्श 2** तथा छुरी के पुलिन्दे

पर **वस्तु प्रदर्श 3** तथा पूरे पुलिन्दे पर **वस्तु प्रदश–4** व मृतका के कपड़ों पर **वस्तु प्रदर्श–5 डाला गया।**

अभियुक्त को अपनी निर्दोषिता स्वयं सिद्ध करनी होती है। मात्र यह कह देने से कि उसे रंजिश के आधार पर झूँठा फंसाया गया है, माने जाने योग्य नहीं है। निर्णयज विधि **2015 (2) क्राईम 194 श्रीचन्द बनाम गुजराज राज्य** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि अभियुक्त को अपनी निर्दोषिता को अपनी साक्ष्य द्वारा सिद्ध करना होता है। परन्तु ऐसा कोई ठोस प्रतिरक्षा साक्ष्य अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन साक्ष्य से यह तथ्य पूर्णतः साबित है कि अभियुक्त से प्रस्तुत प्रकरण के आला कत्ल छुरी की बरामदगी का तथ्य संदेह के परे साबित हुआ है।

पत्रावली पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश आगरा की रिपोर्ट कागज संख्या दिनांकित 25.11.2014 मौजूद है, जिसमें प्रकरण से सम्बन्धित माल मुकदमाती मृतका के चिथड़े सलवार, चिथड़े कुर्ता, चिथड़े दुपटटा, ब्रा, चिथड़े समीज, चडढी, रूमाल, ब्रैसलेट, हेयरबैण्ड, एवं आला कत्ल छुरी का वैज्ञानिक परीक्षण किया गया है। उक्त विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किया गया है कि उक्त सभी वस्तु 1 से 11 के बड़े भागों पर रक्त के धब्बे पाये हैं। आला कत्ल छुरी पर रक्त के धब्बे डिसइन्ट्रीगेटिड होना बताया। उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत घटना दिनांक 16/17.07.2012 की है और आला कत्ल की बरामदगी अभियुक्त से 09.03.2013 को तब बरामद हुई है जब अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, जिससे अभियोजन कथानक का समर्थन होता है तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य की एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होती है।

पत्रावली पर मृतका कौशल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–14 मौजूद है। यह रिपोर्ट अभियोजन साक्षी **पी.डब्लू–10. डा. दिनेश शर्मा** द्वारा दौरान पोस्टमार्टम तैयार की गई है। पोस्टमार्टम के समय साक्षी ने मृतका के शरीर पर निम्नांकित चोट पाई थी–

"शव की गर्दन पर सामने की ओर मध्य भाग में 14 गुणा 4 से.मी. का कटा हुआ घाव था। ट्रैकिया (श्वास नली) व भोजन की नली तथा खून की नसें कटी हुई थीं।"

चिकित्सक साक्षी ने अपने साक्ष्य कथनों में यह स्पष्ट किया है कि मृतका की मृत्यु परीक्षण से लगभग दो तिहाई दिन करीब 16 घण्टे मृत्युपूर्व गले पर आई चोटों से हुई थी। चोट के कारण रक्तस्राव से मृत्यु होना सम्भव है। इस प्रकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी अभियोजन कथानक का समर्थन होता है।

जहां तक प्रकरण के अन्य औपचारिक साक्षीगण की साक्ष्य व प्रपत्रों पर डालें गये प्रदर्शकों का सम्बन्ध है तो **पी.डब्लू–5 एस.आई.रामनिवास** ने अपने साक्ष्य कथनों में इस साक्षी ने प्रकरण के साक्षीगण के बयान अंकित करने, मृतका के शव का पंचनामा प्रदर्श क–2, फोटोनाश, चालान लाश, चिटठी सी.एम.ओ. नमूना मौहर क्रमशः प्रदर्श क–3 ता प्रदर्श क–6, नक्शा नजरी प्रदर्श क–7 व 8 का अभिप्रमाणन साक्ष्य दिया है और कथन किया है कि दिनांक 17.07.2012 को मैं चौकी चोला प्रभारी के पद पर नियुक्त था। उस दिन चौकी पर वादी रहीसुददीन की तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 398/12 धारा 302 व 201 भा.द.स. मुकदमा कायम हुआ था। मैंने उसकी मुकदमे की विवेचना स्वयं की थी। तदनुसार ही पी.डब्लू–7 सी.पी. जितेन्द्र सिंह ने मामले चिक एफ.आई.आर. व कायमी मुकदमा जी.डी.

का अभिप्रमाणन साक्ष्य दिया है।

उपरोक्त समस्त साक्ष्यों के विवेचन से अभियुक्त को प्रश्नगत घटना कारित करने का पर्याप्त हेतुक साबित होता है, अभियोजन साक्ष्य से मामले में अन्तिम दृश्यता का बिन्दु पूर्णतः साबित होता है। अभियोजन साक्ष्य से यह तथ्य भी पूर्णतः साबित होता है कि अभियुक्त जमील की निशानदेही पर मृतका कौशल की हत्या से सम्बन्धित आलाकत्ल छुरी पुलिस पार्टी की मौजूदगी में अभियुक्त जमील द्वारा सुतारी गांव के बम्बे की पटरी पर खड़ी झाड़ी पतेल के झुण्ड के बीच से बरामद कराई गई है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त **आला कत्ल छुरी प्रदर्श–1** को छिपाने का स्थान विशेष रूप से मात्र अभियुक्त जमील के ज्ञान में था, अन्य किसी व्यक्ति के ज्ञान में नहीं हो सकता था। इस प्रकार प्रकरण में हुई आला कत्ल की बरामदगी धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत पूर्णतः पुष्ट होती है। बरामद आला कत्ल छुरी पर खून के धब्बों की पुष्टि साक्षी पी.डब्लू–9 विवेचक द्वारा एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से हुई है तथा मृतका कौशल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–14 में उल्लिखित चोट से भी यह साबित होता है कि मृतका गला धारदार हथियार से काटा गया है। अभियोजन साक्ष्य से परिस्थितिजन्य साक्षय की कड़ियां आपस में मिलना साबित होती हैं। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो प्रतिरक्षा साक्ष्य (डी.डब्लू–1) अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किया गया, वह मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। बचाव पक्ष धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने में असफल रहा है।

उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह स्पष्ट अभिमत है कि प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त जमील के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 302 व 201 भा.द.स. युक्तियुक्त रूप से संदेह के परे साबित होते हैं। अभियुक्त जमील को धारा 302 व 201 भा.दं. स. में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। अभियुक्त जमील के बंधपत्र व जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त जमील को सजा के प्रश्न पर सुना जायेगा।

(विवेक कुमार–I)
दिनांक 21.11.2022 अपर सत्र न्यायाधीश
न्याय कक्ष संख्या–6 बुलन्दशहर ।
(जे.ओ.कोड नम्बर यू पी 2415)

<u>21.11.2022</u>

पुकार कराई गई।

दोषसिद्ध जमील न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित है।

दोषसिद्ध जमील व उसके विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ.) को सजा के प्रश्न पर सुना गया।

अभियुक्त की ओर से यह निवेदन किया गया कि अभियुक्त गरीब आदमी है यह उसका यह पहला अपराध है। अभियुक्त की ओर से यह भी निवेदन किया गया कि वह अपने परिवार का अकेला कमाने वाला है, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं इसलिये उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

अभियोजन पक्ष की ओर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ.) ने कथन किया है कि दोषसिद्ध ने एक असहाय विधवा महिला, जिसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, की सम्पत्ति को हड़पने के लिये मृतका कौशल छुरी से गला काटकर निमर्मता पूर्वक हत्या कारित की है और उसके शव को साक्ष्य छिपाने के उददेश्य से बम्बे में फैंक कर छिपाने का अपराध भी कारित किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध को देखते हुए अभियुक्त को अधिक से अधिक अर्थदण्ड व सजा से दण्डित किया जाये।

वाद के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत न्यायालय की राय में दोषसिद्ध जमील को धारा 302 व 201 भा.द.स. के अपराध में निम्नलिखित सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

–

सत्रवाद संख्या 554 सन 2013 राज्य प्रति जमील, मुकदमा अपराध संख्या 398 सन 2012 थाना कोतवाली देहात, जिला बुलन्दशहर में दोषसिद्ध जमील को धारा 302 व 201 भा.द.स. में निम्नांकित रूप से दाण्डित किया जाता है–

1. धारा 302 भा.द.स. के अन्तर्गत अभियुक्त जमील को सश्रम आजीवन कारावास की सजा एवं अंकन 50,000/–रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास और भोगना होगा।

2. धारा 201 भा.द.स. के अन्तर्गत अभियुक्त जमील को सश्रम पांच वर्ष के कारावास की सजा एवं अंकन 5,000/–रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास और भोगना होगा।

उपरोक्त सभी सजाऐं साथ साथ चलेंगी तथा अभियुक्त/दोषसिद्ध जमील द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जायेगा।

A.S.J.-6
BSR.

दोषसिद्ध जमील का सजायाबी वारंट नियमानुसार तैयार किया जाये।

निर्णय की प्रति अभियुक्त को नियमानुसार निःशुल्क प्रदान की जायेगी।

इस निर्णय की एक प्रति अन्तर्गत धारा 365 द.प्र.सं., जिलाधिकारी बुलन्दशहर को प्रेषित की जायेगी।

(विवेक कुमार)
दिनांक 21.11.2022 अपर सत्र न्यायाधीश
न्याय कक्ष संख्या–6 बुलन्दशहर ।
(जे.ओ.कोड नम्बर यू पी 2415)

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर सुनाया गया।

(विवेक कुमार)
दिनांक 21.11.2022 अपर सत्र न्यायाधीश
उमेश शर्मा–आशुलिपिक न्याय कक्ष संख्या–6 बुलन्दशहर ।
(जे.ओ.कोड नम्बर यू पी 2415)